डाक पंजीयन सं. आर.जे./जे.पी.सी./मन्थली–08/2010–12 RNI - 65127/94

सहकार समाचार बुलेटिन

वर्ष : 16 अंक : 10 वार्षिक :100 रु एक प्रति : 10 रु जून, 2010

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि राशन डीलर सहयोग न करें तो सहकारी समितियों, उपभोक्ता भण्डारों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता महसूस की गई तो शीघ्र ही इस संबंध में जिला कलक्टरों का जयपुर में सम्मेलन भी बुलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राज्य में सहकारिता विभाग की सुपर मार्केट प्रणाली को और मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए गाँवों में सस्ते व एक दाम पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने 500 महिला सहकारी समितियों को भी राशन की दुकानें आवंटित करने के निर्देश दिए।

सहकारिता विभाग सक्रिय

दो रु. किलो गेंहू उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए राज्य का सहकारिता विभाग सक्रिय हो गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने उपभोक्ता भण्डारों व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गेंहू का उठाव सुनिश्चित करने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य कर रही समितियों से अविलंब वितरण शुरु करने, जिन समितियों के पास अभी तक पीडीएस का लाइसेंस नहीं है, उन्हें तत्काल लाइसेंस के लिए आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने और सार्वजनिक वितरण के कार्य को सुचारु रुप से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीपीएल परिवारों को दो रु. प्रतिकिलो में गेंहू देने और सस्ता राशन पंहुचाने की योजना को सफल बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेंहू के उठाव व वितरण की राज्य स्तर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सोमदत्त द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी और इससे रजिस्ट्रार को अवगत कराया जाएगा। इसी तरह से जिला व संभाग स्तर पर समीक्षा की व्यवस्था की गई है।

शेष पृष्ठ 2 पर...

फसली सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था का सरलीकरण

किसानों को मिनी बैंकों से ही मिल सकेंगे फसली सहकारी ऋण–सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने फसली सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था को आसान बनाने की घोषणा करते हुए कहा है कि अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के काश्तकार सदस्यों को मिनी बैंकों से फसली सहकारी कर्जेउपलब्ध हो सकेंगे।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि अब तक

शेष पृष्ठ 2 पर...

पृष्ठ 1 का शेष..

किसानों को मिनी बैंकों ....

काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में जाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि पहले चरण में यह सुविधा राज्य की 3341 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गठित मिनी बैंकों में उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया राज्य में 5 हजार से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से फसली सहकारी ऋण वितरण किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 3341 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक शुरु किए जा चुके हैं और शेष ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी मिनी बैंक खोले जाएंगे।

श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि इस साल काश्तकारों को 6 हजार करोड़ रुपए के रेकार्ड फसली सहकारी ऋण वितरण का कार्यक्रम बनाते हुए 8 लाख से अधिक नए काश्तकारों को सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से जोड़ने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष काश्तकारों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 3300 करोड़ के फसली सहकारी ऋण वितरित किए गए थे।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने बताया कि खरीफ में 4500 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंको को 15 मई तक नए सदस्यों को फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फसली सहकारी ऋण वितरण के लिए बैंकों के पास धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि अपेक्स बैंक द्वारा मिनी बैंकों से ऋण वितरण के निर्देश जारी करते हुए सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर नई व्यवस्था शीघ्र शुरु करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखा की तरह मिनी बैंक में सहकारी किसान क्रेडिट कार्डधारी काश्तकार का नमूना कार्ड तैयार करवाया जाएगा, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक से प्रमाणित केसीसीधारी की फोटो व आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। श्री शर्मा ने बताया कि मिनी बैंक से भुगतान स्वयं कार्डधारी को ही किया जा सकेगा।

श्री शर्मा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी मिनी बैंकों में जमाएं बढ़ाने, मिनी बैंक के ले-आउट में आवश्यक सुधार करने और समय-समय पर खातों को मिलान सुनिश्चित करने को कहा है।

अपेक्स बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मिनी बैंकों से फसली ऋण वितरण के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए तत्काल नई व्यवस्था शुरु करने को कहा गया है।

सहकारी बैंकों की एकमुश्त समझौता योजना लागू

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सहकारी बैंकों के अवधिपार बकाया ऋणों के चुकारे की एकमुश्त समझौता योजना की घोषणा की है। यह योजना राजस्थान राज्य सहकारी बैंक-अपेक्स बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कृषि व अकृषि बकाया अवधिपार ऋणों पर लागू होगी।

श्री मीणा ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक मंदी एवं विषम परिस्थितियों के कारण सहकारी बैंकों के ऋण नहीं चुका पाने वाले ऋणी सदस्य एकमुश्त समझौता योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य अवधिपार बकाया ऋणों के दोषी सदस्यों को बकाया राशि जमा कराने का अवसर प्रदान कर पुनः सहकारी साख व्यवस्था से जोड़ना है। इससे सहकारी बैंकों की अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में घोषित गैरनिष्पादित आस्तियों में कमी लाई जा सकेगी।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि किसी भी व्यवसाय, गतिविधियों या उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए कृषि व अकृषि ऋण जो 31 मार्च,10 को अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत हो गए हो, उन्हें इस एकमुश्त समझौता योजना के तहत राहत प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गबन, दुरुपयोग के दर्ज प्रकरणों में इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। इसी तरह से ऐसे ऋण जिनकी वसूली कड़ी बन्धित, उदाहरणार्थ वेतन भोगी सहकारी समिति को ऋण, ऋण लेने के बाद ऋण खातें में मूल या देय ब्याज के विरुद्ध कोई राशि जमा नहीं कराने वाले ऋणियों को इस योजना में लाभ देय नहीं होगा।

श्री मीणा ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना का लाभ पाने वाले इच्छुक को बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर आवेदन करना होगा। ऐसे ऋणी सदस्यों को 31दिसम्बर, 2003 को बकाया समस्त मूल, साधारण ब्याज, दण्डनीय ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अन्य व्यय की शत प्रतिशत वसूली की जाएगी। 1 जनवरी, 2004 से बाद संपूर्ण राशि जमा होने तक की राशि पर केवल 12 प्रतिशत या स्वीकृत ऋण पत्र की ब्याज दर, जो कम हो, से साधारण ब्याज दर से राशि वसूली जाएगी। इसी तरह से 31 दिसम्बर, 2003 के बाद में वित्तपोषित ऋणों पर संदिग्ध या अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत होने वाले ऋणों पर भी साधारण ब्याज से ही राशि जमा कराई जा सकेगी। एकमुश्त समझौता योजना में आवेदन के समय जमा कराए जाने वाले 25 प्रतिशत राशि के बाद शेष रही राशि को एकमुश्त या समान त्रैमासिक किश्तों में जमा कराने की छूट होगी। समझौते के लिए प्राप्त आवेदनों पर प्रबंध निदेशक संबंधित बैंक की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय किया जाएगा।

एकमुश्त समझौता योजना में मृत ऋणी सदस्यों को भी राहत दी गई हैं। ऐसे ऋणी जिनकी 1 जनवरी, 2004 से पूर्व मृत्यु हो चुकी है, उनके खातें में 31दिसम्बर, 03 तक बकाया राशि वसूली योग्य होगी व इसके बाद से समझौता दिनांक तक ब्याज, दण्डनीय ब्याज आदि नहीं वसूला जाएगा। योजना को संचालक मण्डल में अनुमोदित कराकर सहकारी बैंक अंगीकार कर सकेंगे।

पृष्ठ 1 का शेष..

सार्वजनिक वितरण प्रणाली.....

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चाकचोबंद

राशन डीलरों की हड़ताल के चलते सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् उपभोक्ता सामग्री के वितरण की व्यवस्था को चाकचोबंद किया गया है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने जिन संस्थाओं के पास लाइसेंस हैं उन्हें होलसेलर से तुरंत सामग्री प्राप्त कर तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार वितरण को कहा गया है वहीं जिन सहकारी संस्थाओं के पास अभी तक लाइसेंस नहीं हैं उन संस्थाओं को जिला रसद अधिकारी के यहां लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर से राज्य स्तर तक मोनेटरिंग की व्यवस्था करते हुए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

राज्य स्तर पर उपभोक्ता संघ व राजफैड को जिम्मेवारी सौंपने के साथ ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सोमदत्त को मोनेटरिंग का जिम्मा दिया गया है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के पदों की स्क्रीनिंग

राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सहायक व्यवस्थापकों एवं व्यवस्थापकों के पदों की स्क्रीनिंग का कार्य अधिकांश केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

सहकारिता विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 13 मई से 23 मई के दौरान स्क्रीनिंग से भरे जाने वाले पदों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए थे।

श्री मीणा ने कहा कि स्क्रीनिंग से भरे जाने वाले पदों के लिए सहायक व्यवस्थापक आदि पात्र कार्मिक आवश्यक रुप से 13 मई को संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करने और बैंकों द्वारा 14 मई से 23 मई तक प्राप्त आवेदनों पर संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष सहित स्क्रीनिंग समिति की बैठक कर स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। श्री मीणा ने बताया कि पूर्व में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग से पदोन्नति से भरे जाने वाले व्यवस्थापकों के पदों के लिए 15 मई तक आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। बैंकों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही नहीं करने के कारण अब13 मई को आवेदन करने का अवसर देते हुए स्क्रीनिंग का कार्य तत्काल पूरा करने को कहा गया।

प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले गेंहू व चीनी का समय पर उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 से 21 तारीख तक प्रभावी वितरण व्यवस्था की जावे।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता सामग्री के वितरण का कार्य कर रही ग्राम सेवा सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों में समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए समितियों के अध्यक्ष, संचालक मण्डल के सदस्यों, बैंक पर्यवेक्षकों या अन्य कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत समय पर गेंहू व चीनी का वितरण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने नए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋणों के वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नरेगा श्रमिकों का भुगतान करते समय घरेलू उपभोक्ता सामग्री भी उपलब्ध कराई जावें। आदिवासी जिलों में नई लेम्प्स के गठन के प्रस्ताव बनाते समय एकरुपता का ध्यान रखा जाए, ताकि सभी जिलों मे समान रुप से लेम्प्स का गठन हो सके। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेंहू के उठाव के साथ ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी आधिपत्य पत्र के अनुसार अंतर राशि के भुगतान के दावे संबंधित जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की समय सीमा में क्रियान्विति के निर्देश दिए।

राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस. भाले ने डीएपी के अग्रिम भण्डारण के पेटे क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में बकाया 2 करोड़ 60 लाख रुपए राजफैड को अविलम्ब जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में डीएपी के पेटे बकाया राशि जमा नहीं कराने वाली समितियों को ब्लेक लिस्टेड करते हुए डीएपी उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य विभाग द्वारा मिड डे मिल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेंहू परिवहन की बकाया राशि जारी कर दी गई है और समितियां संबंधित जिला रसद अधिकारी के यहां से भुगतान प्राप्त कर सकती हैं।

बैठक में उप सचिव श्री महेश गुप्ता, अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय लक्ष्मी बैरवा, श्री सोमदत्त, प्रबंध संचालकों में अपेक्स बैंक के श्री आर.सी.एस. जोधा, भूमि विकास बैंक के श्री आर.सी. शर्मा, उपभोक्ता संघ के श्री आर.एस. जाखड़, संयुक्त रजिस्ट्रारों में श्री हनुमान सिंह, श्री रामजी लाल सोनी, मुख्य अंकेक्षक श्री आई.एल. राव, मुख्य लेखाधिकारी श्री अरविन्द मिश्र आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निर्वाचित संचालक सहकारी आंदोलन को सदस्योन्मुखी बनाएं-रजिस्ट्रार

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने जिला सहकारी संघों से बदलते आर्थिक परिवेश में जिले के सहकारी आंदोलन को और अधिक सदस्योंन्मुखी बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने निर्वाचित संचालक मण्डलों को सहकारी संस्था के संचालन के लिए प्रशासनिक, कारोबारी सहित सभी तरह के निर्णय का अधिकार देते हुए अधिक अधिकार संपन्न बना दिया है । अब निर्वाचित संचालक मण्डल का दायित्व हो जाता है कि सदस्यों के हित में सहकारी संस्थाओं का संचालन करें।

श्री शर्मा राइसम में जिला सहकारी संघों के निर्वाचित अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता आंदोलन सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित आंदोलन बनाते हुए राज्य सरकार ने जिला स्तर तक की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराकर सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचित संचालको को सौंप दी है और वैद्यनाथन की सिफारिशों के अनुसार सहकारी कानून में भी

सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल अब अधिक अधिकार संपन्न

आवश्यक संशोधन करते हुए सहकारी संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि राज्य सहकारी संघ सहित जिला सहकारी संघ पिछले कई वर्षों से सक्रिय नहीं होने से जिला स्तर पर सहकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व सदस्य शिक्षा कार्योपर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अब राज्य सहकारी संघ के साथ ही जिला सहकारी संघों में परस्पर सहयोग से शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय किया गया है।

राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी श्री आर.के. पुरी ने कहा कि पिछले दिनों सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने जिला सहकारी संघों को सक्रिय करने और जिला सहकारी संघों के माध्यम से कार्यक्रमों के संचालन के निर्देश दिए थे। सहकारिता मंत्री श्री मीणा के निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर जिला सहकारी संघों के अध्यक्षों की कार्यशाला आयोजित कर बेहतर समन्वय का प्रयास किया है।

कार्यशाला में जिला सहकारी संघों के अध्यक्षों ने एक स्वर में जिला सहकारी संघों में आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने, सहकारी शिक्षा कोष से जिला संघों को राशि उपलब्ध कराने, जिला स्तरीय प्रशासनिक कमेटियों में जिला सहकारी संघों की भागीदारी तय करने आदि के सुझाव दिए। इस अवसर पर संयुक्त रजिस्ट्रार मानव संसाधन श्री अनिल उबेराय, जिला सहकारी संघों कि अध्यक्षों में बूंदी के श्री बृजमोहन शर्मा, सीकर के श्री खेमचन्द महला, कोटा के श्री ओम मेहता, उदयपुर के श्री निरंजन लाल शर्मा, गंगानगर के श्री बलविन्द्र सिंह, अलवर के ब्रजमोहन शर्मा, डूंगरपुर के श्री प्रियकान्त पंडया आदि ने विचार व्यक्त किए। राइसम के अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जोशी ने सहकारी संघों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सहकारी बैंकों के अवधिपार सहकारी ऋणों की सख्ती से वसूली के निर्देश– सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सहकारी बैंकों के अवधिपार बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक सप्ताह में प्रस्ताव भिजवाए जाएं।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने नेहरु सहकार भवन में केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के प्रबंध संचालकों एवं सचिवों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सहकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए और अवधिपार सहकारी ऋणों की कम वसूली पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सहकारी बैंकों को सहकारिता अधिनियम की धारा 99 एवं 100 की कार्यवाही करते हुए ऋणों की वसूली में सख्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋण राहत व एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से बकाया ऋण जमा कराने के समुचित अवसर देने के बाद भी ऋण जमा नहीं कराने वाले ऋणियों के विरुद्ध अब बकाया कर्जे की वसूली का एक मात्र विकल्प सख्ती से वसूली ही रह गया है।

श्री मीणा ने कहा कि अकाल से पीड़ित काश्तकारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋणों को मध्यकालीन सहकारी ऋणों में परिवर्तित किया गया है। उन्होंने सहकारी बैंकों को ऋण परिवर्तन का लाभ काश्तकारों को देते हुए पुनर्वित्त प्रस्ताव राज्य सहकारी बेंक को भिजवाने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों के रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव संचालक मण्डल से पारित कराकर 15 मई तक भेजने के निर्देशों के बावजूद अधिकांश बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बैंकों द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए वांछित प्रस्ताव एक सप्ताह में नहीं भेजने की स्थिति में बैंकों के संचालक मण्डल व मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध सहकारिता अधिनियम के तहत अप्रिय व कड़े कदम उठाये जायेंगे। एक और सहकारी बैंक कर्मचारियों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं संचालक मण्डल से पारित करवाकर रिक्त पदों को राज्य स्तरीय संस्था से भर्ती के प्रस्ताव नहीं भिजवाए जा रहे हैं।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने कहा कि सहकारी बैंक 15 मई तक सहकारी ऋणों के कन्वर्जन का लाभ काश्तकारों को देते हुए 20 मई तक शीर्ष बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर लें। उन्होंने सहकारी बैंकों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के नियमितिकरण के लिए 23 मई तक आवश्यक रुप से स्क्रीनिंग करने की हिदायत दी।

श्री मीणा ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों के भुगतान का कार्य कर रही ग्राम सेवा सहकारी
समितियों को एक माह की किश्त का अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमति हो गई है। सहकारी बैंक जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए राशि प्राप्त कर ग्राम सेवा
सहकारी समितियों को उपलब्ध कराए।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने 6000 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरण के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति करने के साथ ही मई माह तक नए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी किसान क्रेडिट कार्डधारी काश्तकारों की साख सीमा को नवीनीकृत मानते हुए काश्तकारों को फसली ऋण वितरण जारी रखा जाए। श्री शर्मा ने बताया कि कम वसूली करने वाले अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टी होगी।

बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रशासक सुश्री नीलिमा जौहरी ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की कम वसूली पर चिंता व्यक्त की। बैठक में प्रबंध संचालकों में अपेक्स बैंक के श्री आर.सी.एस. जोधा व एसएलडीबी के श्री आर.सी. शर्मा ने बैंकों की प्रगति से अवगत कराया।बैठक में उप सचिव श्री महेश गुप्ता,अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय लक्ष्मी बैरवा व श्री सोमदत्त ने भी विचार व्यक्त किए।

सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ बीज उपलब्धता की कवायद शुरु

राजफैड काश्तकारों का बीज निगम,आन्ध्र मार्कफैड व नेफैड से मंगाकर उपलब्ध कराएगा बीज-रजिस्ट्रार

सहकारिता विभाग ने आगामी खरीफ में काश्तकारों को मांग के अनुसार प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने की कवायद शुरु कर दी है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि राजफैड द्वारा राज्य बीज निगम के साथ ही आन्ध्रप्रदेश मार्कफैड व नेफैड से भी बीज प्राप्त कर काश्तकारों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने खरीफ के लिए बीज की उपलब्धता के लिए राजफैड, तिलम संघ, बीज निगम के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ ''राजफैड'' ने राजस्थान राज्य बीज निगम को 32 हजार 955 क्विंटल प्रमाणित उन्नत बीज उपलब्ध कराने की मांग प्रस्तुत की है। इसमें से राजसीड्स द्वारा सहकारी समितियों को 16 हजार 791 क्विंटल बीजों का आवंटन कर दिया है। राजसीड्स द्वारा 20 क्विं. मूंग, 340 क्विं. मूंगफली, 168 क्विं. मोठ, 726 क्विं. ग्वार, 45 क्विं. उडद, 505 क्विं. बाजरा, 20 क्विं. ज्वार, 13 हजार655 क्विं. सोयाबीन, 855 क्विं. मक्का, 144 क्विं.तिल सहित 16 हजार क्विंटल बीज राजफैड की मांग में से आवंटित किए गए हैं और मांग के अनुसार शेष बीज उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है। उन्होंने बीज निगम से राजफैड को मांग के अनुसार उन्नत प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने को कहा।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने कहा कि मानसून की वर्षा के साथ ही काश्तकारों द्वारा खेतों की जुताई शुरु कर दी जाएगी। इसलिए सहकारी समिति स्तर पर समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने राजफैड के अधिकारियों को भी बीजों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए।

राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस. भाले ने बताया कि आंध्र प्रदेश मार्कफैड से तीन हजार क्विंटल एचएचबी 67 क्वालिटी का बाजरा बीज मंगाने के लिए अनुबंध किया है, जिसके पेटे 1000-1200 क्विंटल बाजरा बीज आंध्र मार्कफैड ने उपलब्ध कराने की सहमति दी है। राजफैड आंध्र मार्कफैड के साथ ही नेफैड व राज्य बीज निगम से निरन्तर समन्वय बनाए हुए हैं और अधिक से अधिक बीज मंगाकर सहकारी समितियों से काश्तकारों को उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है। राज्य बीज निगम के प्रबंध संचालक श्री यज्ञमित्र सिंह देव ने बताया कि बीज निगम ने मूंगफली के बीज का और अधिक प्रबन्ध किया जा रहा है, वहीं उन्होंने काश्तकारों से बाजरे की एचएचबी 67 किस्म के विकल्प के तौर पर बीज निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य किस्मों के बाजरे के बीजों को उपयोग में लाने का आग्रह किया।

तिलम संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती शशि मधोक ने बताया कि बीज उपलब्ध कराने में तिलम संघ द्वारा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। संयुक्त रजिस्ट्रार मार्केटिंग श्री आर.एल. सोनी ने बताया कि सहकारी विभाग स्तर पर बीज की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि सहकारी समिति स्तर पर समय पर बीज की उपलब्धता बनाई जा सकें।

सहकारी भूमि विकास बैंक होंगे हाईटेक

सहकारी भूमि विकास बैंक व रील के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सहित राज्य के सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हाईटेक होंगे। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए भारत सरकार का उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्ट्स लि.(रील) सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन का कार्य करेगी।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रशासक सुश्री नीलिमा जौहरी की उपस्थिति में नेहरु सहकार भवन में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और रील के बीच इस आशय की सहमति हुई है। सहमति पत्र पर बैंक की ओर से प्रबन्ध संचालक श्री आर.सी. शर्मा एवं रील की ओर से वहां के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.सी. शर्मा ने बताया कि रील द्वारा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के मुख्यालय और 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ही राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों व इनकी शाखाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर का कार्य एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए रील द्वारा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल तैयार करने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से इनका कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के बीच प्रबंधन सूचना प्रणाली, निर्णय तंत्र एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डाटाज का आदान-प्रदान भी नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकेगा।

गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने पिछले दिनों प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा, रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा एवं बैंक प्रबंध संचालक के साथ बैठक में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण करने के निर्देश दिए थे। सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य के किसानों को दीर्घकालीन कृषि सुधार कार्यों में लघु सिंचाई साधनों, कृषि यंत्रीकरण, विविध कार्यों व अकृषि कार्यों के लम्बी अवधि के सहकारी कर्जे उपलब्ध कराए जाते हैं।

स्पिनफैड कताई मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य दिसम्बर तक-सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि स्पिनफैड की तीनों कताई मिलों का आधुनिकीकरण का कार्य इस साल दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टफ परियोजना के तहत 77 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ की कताई मिलों के पुनर्वास व आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने स्पिनफैड की सीएमडी गुरजोत कौर के साथ टफ परियोजना की प्रगति समीक्षा के बाद कहा कि स्पिनफैड की तीनों कताई मिलों में नई मशीनों के लगाने का कार्य शुरु हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई मशीनों के लगने के बाद स्पिनफैड की कताई मिलों में गुणवत्तायुक्त निर्यातोन्मुखी सूत का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी की सहायता से टफ परियोजना में गंगापुर में 23 करोड़ 56 लाख रु., गुलाबपुरा में 25 करोड़ रु. व हनुमानगढ़ में 29 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण का कार्य जारी है और इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

स्पिनफैड की सीएमडी गुरजोत कौर ने बताया कि गुलाबपुरा कताई मिल में अगले माह 2 स्पिड फ्रेम व 8 रिंग मशीनों की स्थापना का काम शुरु हो जाएगा, वहीं गंगापुर कताई मिल में जुलाई–अगस्त से 2 स्पिडफ्रेम व 4 रिंग फ्रेम स्थापित होना शुरु हो जाएगी। गुलाबपुरा व गंगापुर की शेष स्पिड व रिंग फ्रेम मशीने दिसम्बर तक लगेगी।

सीएमडी गुरजोत कौर ने बताया कि गुलाबपुरा व गंगापुर की कताई मिलों में नए ब्लोरुम, काडिंग मशीन, ड्राफ्रेम, व ऑटोकोनर की स्थापना की जा चुकी है। हनुमानगढ़ कताई मिल की आधुनिकीकरण की चर्चा करते हुए सीएमडी गुरजोत कौर ने बताया कि मिल के लिए ब्लोरुम, कार्डिग मशीन, ड्राफ्रेम, ऑटोकोनर आदि स्थापित की जा चुकी है और शेष मशीने के आदेश जून मे दे दिए जाएंगे व इस साल के अंत तक नई मशीनें स्थापित कर दी जाएगी।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल समाप्त

वार्ता से बनी सहमति

राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल समाप्त हो गई है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि व्यवस्थापकों की मांगों से संबंध में वार्ता कर हल सुझाने के लिए प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री हनुमान सिंह सदस्य सचिव, उप रजिस्ट्रार श्री लीला पुरुषोत्तम, अजमेर के तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार श्री एस.के. विश्नोई व जयपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा व बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालकों को सदस्य बनाया गया था। कमेटी से वार्ता के बाद व्यवस्थापकों ने राज्यव्यापी हड़ताल को वापस ले लिया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने कमेटी की रिपोर्ट पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

वार्ता के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार ने व्यवस्थापकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। कमेटी से सहमति के अनुसार व्यवस्थापकों का ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी लाभ देने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित करने के लिए 31 मार्च, 07 तक नियुक्त कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के लिए पात्र माना जा सकेगा। इसी तरह से नियम 34 (क) के अन्तर्गत पैक्स/लेम्प्स में सहायक व्यवस्थापक के रुप में ''डीफेक्टो'' कार्य कर रहे सहायक व्यवस्थापकों को स्क्रीनिंग के लिए पात्र मानने की अनुशंषा की है। कमेटी ने व्यवस्थापकों की सेवानिवृति आयु 58 से 60 वर्ष करने के संबंध में सकारात्मक सिफारिश की है। इसके साथ ही इन समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वसूली, अमानत वृद्धि आदि के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का सुझाव दिया है।

कमेटी के सदस्यों ने संस्था की आर्थिक स्थिति एवं भुगतान की सक्षमता को देखते हुए सरकारी विभाग के कनिष्ठ लिपिक के समकक्ष वेतनमान व 1800 या 1900 रुपए के ग्रेड पे देने की अनुशंषा करते हुए राज्य सरकार स्तर पर निर्णय करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतनमान का निर्णय मंत्रीमण्डल द्वारा किया गया था उसी के अनुसार मंत्रीमण्डल को अनुमोदन के लिए नए सिरे से प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जा सकता है। नाबार्ड द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्टॉफ लागत को सीमा में रखने के प्रस्ताव पर 5 वर्ष के छूट प्रदान करने की सिफारिश की सलाह दी है। वेतन विसंगती के संबंध में समिति की राय थी कि विसंगती के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा। कमेटी के सदस्यों व व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति क बाद व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों ने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा कर दी है।

तिलम संघ इस वर्ष से प्रदेश में मूंग, मोठ और ग्वार के प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण भी शुरु करेगा–रजिस्ट्रार

राज्य में प्रमाणिक बीजों की कमी को देखते हुए तिलम संघ इस वर्ष से प्रदेश में मूंग, मोठ और ग्वार के प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण भी शुरु करेगा।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने तिलम संघ की समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि तिलम संघ के कोटा प्लान्ट में गेंहू, चना, सरसों और सोयाबीन के प्रमाणिक बीज तैयार कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। तिलम संघ द्वारा बीज प्रसंस्करण के लिए फतेहनगर और श्रीगंगानगर में एक–एक बीज प्रसंस्करण इकाई और लगाई जा चुकी हैं वहीं बीकानेर में मूंगफली के बीज प्रसंस्करण इकाई लगाने के प्रयास जारी है।

श्री शर्मा ने बताया कि राज्य में प्रमाणिक बीजों की कमी को देखते हुए तिलम संघ ने प्रामणिक बीज तैयार कर उपलब्ध कराने का कार्य पिछले वर्षों से चरणबद्ध तरीके से शुरु किया है। उन्होंने बताया कि इस साल तिलम संघ ने 61 हजार 300 क्विंटल प्रमाणिक बीज तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें 33 हजार क्विंटल सोयाबीन, 4 हजार 400 क्विंटल सरसों, 22 हजार 400 क्विंटल गेंहू, 300–300 क्विंटल चना, मूंग और मोठ तथा 600 क्विंटल ग्वार के प्रसंस्करित बीज तैयार किए जायेंगे। गत वर्ष तिलम संघ ने 53 हजार 765 क्विंटल सोयाबीन, सरसों और गेंहू के प्रमाणिक बीज का उत्पादन किया था। बाजरे के बीज की संभावित कमी को देखते हुए रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने तिलम संघ को आन्ध्र प्रदेश बीज निगम से समन्वय बनाते हुए बीज की उपलब्धता व भविष्य में बाजरे के बीज की भी प्रसंस्करण इकाई लगाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने तिलम संघ के कार्यों में और अधिक विविधिकरण लाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए तिलम संघ को लाभकारी व किसानोन्मुखी संस्था बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि राज्य में तिलहन क्रान्ति की सफलता तिलम संघ के सहयोग से ही संभव हो पाई है,पर तिलम संघ की लाभकारी संस्था की इमेज नहीं बन पाई।

तिलम संघ की प्रबन्ध संचालक श्रीमती शशि मधोक ने बताया कि वर्ष 2009–10 के दौरान 13 हजार 575 टन सोयाबीन, 7 हजार 378 टन सरसों और 3 हजार 413 टन से अधिक मूंगफली की खरीद की गई। इस वर्ष 14 हजार 500 टन सोयाबीन, 7 हजार 100 टन सरसों और 3 हजार 500 टन मूंगफली की खरीद का कार्यक्रम बनाया गया है। भारतीय खाद्य निगम के लिए तिलम संघ ने 17 हजार 900 टन गेंहू की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है।

श्रीमती मधोक ने बताया कि तिलम संघ के सोया रिफाइन्ड, सरसों और मूंगफली के तेल की शुद्धता, गुणवत्ता के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए इसके विपणन का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस समय तिलम तेल सहकारी उपहार सहकारी बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध हो रहा है। बैठक में परियोजना निदेशक प्रोसेसिंग श्री विजय जोशी, वित्तीय सलाहकार श्री विमल गुप्ता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिस्सा राशि 7 लाख करने से नई सहकारी समितियों का गठन शुरु

33 साल बाद 43 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के आदेश

राज्य मे करीब 33 साल बाद 43 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफाारिश पर बाड़मेर में 32, जोधपुर में 4, सीकर में 7 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी करते हुए जिले के सहायक/उप रजिस्ट्रार को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य जिलों में भी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष नवबंर-दिसम्बर में राज्य मंत्रीमण्डल के चिंतन शिविर में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में आ रही बाधाओं पर विस्तार से विचार विमर्श के बाद हिस्सा राशि 15 लाख से घटाकर 7 लाख रुपए का निर्णय किया, जिससे नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में आ रही बाधा दूर होने से समितियों के गठन का सिलसिला शुरु हो गया।

गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने काश्तकारों को निकटतम स्थान से फसली सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा व रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने उच्चस्तरीय बैठकों में जिलाधिकारियों को नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

राज्य में अंतिम बार 1977 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्प्स का पुनर्गठन हुआ था। नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से बाड़मेर, जोधपुर व सीकर के काश्तकार लाभान्वित हो सकेंगे।

राज्य में 9 हजार से भी अधिक ग्राम पंचायतें हैं, वहीं 5 हजार 200 से कुछ ही अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्प्स होने से काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण व खाद-बीज आदि प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। 1989 में मंत्रीमण्डल की आज्ञा से रोक हटाने के बाद भी समितियों का पुनर्गठन या नई समितियों का गठन नहीं हो सका था और इस कारण से इस आदेश पर भी 91 में वापिस रोक लगा दी गई थी। अक्टूबर, 08 में मंत्रीमण्डलीय आज्ञा से रोक हटाने के बावजूद हिस्सा राशि का प्रावधान व्यावहारिक नहीं होने से समितियों का गठन नहीं हो पा रहा था।

नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन/पुनर्गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अध्यक्ष व प्रबंध संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद व उप/सहायक रजिस्ट्रार की समिति की सिफारिश पर किया जा रहा है। समितियों का गठन या पुनर्गठन पांच सौ काश्तकार मिलकर 7 लाख की हिस्सा राशि से कर सकते हैं।

बाड़मेर जिले में नेहरों की नाड़ी, सराना, पूनियो का तला, सवाउ मूलराज, खोखसर पश्चिम, सिंघोडियां, लूनाड़ा, कांखी,धारणा, सेला, गु ड़ानाल, भागवा, इन्द्राणा, काठाड़ी, कुशीप, आकली, मोतीसरा, बामसीन, रानीदेशीपुरा, कारटीया, सोनडी, चेनपुरा, बाणियावास, सिणली जागेर, बिठूजा, दूधवा, आसोतरा, पचपदरा, कुड़ी, असाड़ा, टापरा, खनोड़ा, नवोड़ाबैरा, रामसर व कानासर में नई समितियो का गठन होगा। इसी तरह से सीकर जिले में सूलियावास, मेई, बठोठ, जसरासर, लालासी, रहनावा व सिमारलाजागीर तथा जोधपुर जिलें में जाटीपुरा, रामपुरा, बारनाउ व चिरढ़ाणी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। नई समितियों में पहले पांच वर्षो के लिए समिति को ग्राम पंचायत द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। समिति के गोदाम के लिए ग्राम पंचायत निःशुल्क भूखण्ड देगी। पूर्व में आदेशों से अवसायन में लाई गई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी पुराने सदस्यों द्वारा देनदारी चुकाने पर सदस्य बनाते हुए पुनर्गठित किया जा सकता है।

10 करोड़ का रेकार्ड वार्षिक कारोबार

सहकारी मुद्रणालय में होगा अब अत्याधुनिक मशीनों से मुद्रण कार्य

राज्य के सहकारी मुद्रणालय में गुणवत्तायुक्त बहुरंगी प्रकाशन कार्य के लिए एक और नई ऑफसेट टू कलर मशीन और पूर्णतः स्वचालित कटिंग मशीन लगाने का कार्यक्रम है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एवं राज्य सहकारी मुद्रणालय के प्रशासक श्री मुकेश शर्मा ने मुद्रणालय के कार्यों की समीक्षा के बाद दी। उन्होंने बताया कि हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सहकारी मुद्रणालय ने रेकार्ड 10 करोड़ का प्रकाशन कार्य किया है, जो अब तक के मुद्रणालय के इतिहास में सर्वाधिक है। आरंभिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रणालय में गत वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक का सकल लाभ रहा है और मुद्रणालय संचित लाभ में काम कर रहा है।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने सहकारी मुद्रणालय को समय पर प्रकाशन कार्य कर उपलब्ध कराने पर बल देने, प्रकाशनों में गुणवत्ता का ध्यान रखने और मुद्रणालय के कार्यों में विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए दो पारी में प्रकाशन कार्य किया जावे और मानव संसाधन की आवश्यकता हो तो आउट सॉर्सिंग से तकनीकी कर्मचारी रखे जावे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी मुद्रणालय के कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए ही इसे राज्य सरकार के मुद्रणालय के समकक्ष दर्जा दिया हुआ है और मुद्रणालय की दरों का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने सहकारी मुद्रणालय की लेनदारी की चर्चा करते हुए कहा कि जानबूझकर या अनावश्यक देरी से भुगतान करने वाली संस्थाओं का भविष्य में कार्य नहीं करते हुए उन्हें ब्लेकलिस्टेड किया जावे।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य की सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारी मुद्रणालय से कार्य कराना अनिवार्य है और संस्थाएं एनएसी प्राप्त कर ही अन्य स्थान से प्रकाशन करा सकती है।

सहकारी मुद्रणालय के प्रबन्ध संचालक श्री इन्दर राज मीणा ने बताया कि सहकारी मुद्रणालय में इस समय छह ऑफसेट मशीनों, दो कलर ऑफसेट मशीनों, आठ कम्प्यूटर सिस्टम, कैमरा, प्लेट मैंकिंग, सीटी पोलीजेट सिस्टम के माध्यम से प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाओं के साथ ही मुख्यलेखाकार कार्यालय, जनगणना निदेशालय, राज्य निर्वाचन विभाग, निर्वाचन विभाग, खाद्य विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग सहित राज्य के विश्वविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं व विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों व अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन कार्य किया जा रहा है। सहकारी मुद्रणालय निरंतर लाभ में काम कर रहा है।

सहकारी मुद्रणालय के उत्पादन प्रबंधक श्री सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि मुद्रणालय की पहचान गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन के रुप में बनी है और इस पहचान को बनाये रखने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में संयुक्त रजिस्ट्रार उद्योग श्री रामजी लाल सोनी भी उपस्थित थे।

जोधपुर में संभाग स्तरीय सहकार मसाला मेला संपन्न

जोधपुर में संभागीय सहकार मसाला मेले का आयोजन 21 से 24 मई तक किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर श्री उमराव सिंह चारण ने बताया कि राजीव गांधी सहकार भवन रेल्वे स्टेशन के सामने जोधपुर में आयोजित सहकार मसाला मेले का उद्घाटन अतिरिक्त रजिस्ट्रार जोधपुर श्री के.एस. शेखावत ने किया। मेले में जोधपुरवासियों ने पूरे उत्साह से हिस्सा लिया।

इस मेले में जोधपुर सहित राज्य के विभिन्न संभागों की 22 सहकारी संस्थाओं व उनके सहयोग से संचालित इकाईयों के उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध उत्पादों का प्रदर्शन और रियायती दरों पर बिक्री की गई।

सहकारिता विभाग से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, आदेश, निर्देश, परिपत्र, स्थानान्तरण, गतिविधियां, प्रकाशन, सहकार समाचार बुलेटिन के लिए लॉग ऑन करे-
www.rajcooperatives.nic.in

स्वामी, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्थान, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री मुकेश शर्मा द्वारा नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर से प्रकाशित एवं मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड़, जी-1/138, इंडस्ट्रियल एरिया मालवीय नगर, जयपुर से मुद्रित ● संपादक : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।